

झारखण्ड सरकार
योजना सह वित्त विभाग
(वित्त प्रभाग)

प्रेषक,

अमित खरे
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक 04/01/2017

विषय : तृतीय अनुपूरक प्रस्ताव 2016-17 को उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

झारखण्ड विधान सभा का शीतकालीन सत्र आहूत होने के परिप्रेक्ष्य में तृतीय अनुपूरक प्रस्तुत किया जाना है। तृतीय अनुपूरक में निम्न प्रकार के प्रस्ताव प्राप्त किये जायेंगे:-

- (i) जिस मद में भारत सरकार द्वारा केन्द्र प्रायोजित योजना/केन्द्रीय योजनागत योजना में हिस्सेदारी में परिवर्तन के फलस्वरूप बजट में संशोधन अपेक्षित हो,
- (ii) ऐसे प्रस्ताव जिसके लिए पूर्व में राशि का प्रावधान नहीं किया गया है एवं अत्यंत आवश्यक हो, जैसे PFMS के माध्यम से राशि प्राप्त हो,
- (iii) गैर-योजना मद में समतुल्य राशि के प्रत्यर्पण सहित प्रस्ताव।

प्रस्ताव वित्त विभाग के website <https://finance-jharkhand.gov.in/budgetjhr> → budget → supplementary → Third पर online उपलब्ध कराया जाय।


अनुपूरक संबंधी प्रस्ताव योजना सह वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) को उपलब्ध कराने की अंतिम तिथि दिनांक 09.01.2017 के अपराह्न 3.00 बजे तक निर्धारित की गई है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा।

विश्वासभाजन,

3.1.2017
(अमित खरे)


सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक : 29 / अनुपूरक-02 / 2016-17 / 08 / बजट, राँची, दिनांक : 04/01/2017
प्रतिलिपि : महानिबंधक, उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची / प्रभारी सचिव, विधान सभा
सचिवालय, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


3.1.2017
(अमित खरे)

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक : 29 / अनुपूरक-02 / 2016-17 / 08 / बजट, राँची, दिनांक : 4/01/2017
प्रतिलिपि : मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव / मुख्य सचिव के सचिव को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


3.1.2017
(अमित खरे)

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक : 29 / अनुपूरक-02 / 2016-17 / 08 / बजट, राँची, दिनांक : 4/01/2017
प्रतिलिपि : अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव / सचिव (व्यय) / उप सचिव /
नोडल पदाधिकारी, पी०एम०यू० कोषांग, योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग), झारखण्ड,
राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


3.1.2017

(अमित खरे)

सरकार के अपर मुख्य सचिव।